

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एस-108/2017/


दिनांक

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.14(1)एफ.डी(नियम)/2013-II दिनांक 28.06.2013 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्स द्वितीय जिन्होंने 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक व पूर्ण सेवावधि	देय पे बन्ड/चयनित वेतनमान	देय पे ग्रेड
1.	सतीश आर्य	जयपुर	05.04.08	05.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800

कार्मिक के यदि दिनांक 01.06.2002 के बाद तीसरी संतान है तो यह आदेश इन पर लागू नहीं होगा।



आंतरिक निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एस-108/2017/ 903

दिनांक 01/11/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
2. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
3. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर